UPUN010060802022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0—3, उन्नाव।

पीठासीन अधिकारी–प्रेम प्रकाश, (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06506

<u>सत्र परीक्षण सं0—1201/2022</u>

राज्य उत्तर प्रदेश————————————————————अभियोजन

बनाम

विनोद पुत्र सन्तु, उम्र 30 वर्ष, निवासी बिल्हारी गोझा, थाना सफीपुर, जिला उन्नाव।

.... अभियुक्त

मु0अ0सं0—188/2022
धारा—364A भा0दं0सं0
<u>थाना—अचलगंज, जिला—उन्नाव।</u>

क्रम सं0	**विवरण**	**नाम**
1.	शिकायतकर्ता/मुकदमा वादिनी	उमा देवी
2	अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)	श्री विनय शंकर दीक्षित एडवोकेट
3.	अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता	न्यायरक्षक/चीफ एल0ए0डी0सी0एस0 श्री राजेश त्रिपाठी एडवोकेट

<u>वाद की कार्यवाही का विवरण</u>

क्रम सं0	**वाद की कार्यवाही**	**दिनॉक**
1.	घटना की तिथि व समय	03.07.2022 समय 14.00 बजे
2	एफ0आई0आर0 दर्ज करने की तिथि	09.07.2022 समय 14.31 बजे
3.	आरोप पत्र प्रस्तुत करने की तिथि	22.09.2022
4.	अपराध संज्ञान की तिथि	15.10.2022
5.	कमिटल होने की तिथि	07.11.2022
6.	आरोप विरचन की तिथि	11.04.2023
7.	विचारण प्रारम्भ की तिथि	29.04.2023
8.	बहस की तिथि	06.06.2026
9.	निर्णय की तिथि	12.06.2026

<u>निर्णय</u>

1— थाना अचलगंज, जिला उन्नाव की पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 188/2022, अन्तर्गत धारा—364A भा0दं0सं0, सरकार बनाम विनोद के प्रकरण में विवेचनोपरान्त अभियुक्त विनोद के विरूद्ध विचारण हेतु आरोप पत्र संख्या—205/2022

दिनांकित 22.09.2022 विवेचक द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उक्त सत्र परीक्षण वाद न्यायालय सिविल जज (सी0डि0), एफ0टी0सी0/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उन्नाव के सुपुर्दगी आदेश दिनांकित 07.11.2022 के आधार पर विचारण हेतु सत्र न्यायालय को प्राप्त होने के उपरान्त अन्तरण द्वारा इस न्यायालय को प्राप्त हुआ जिसका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया गया।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक 09.07.2022 को वादिनी मुकदमा उमादेवी पत्नी भगवानदीन द्वारा थाना अचलगंज, जनपद उन्नाव पर इस आशय की लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 प्रस्तुत की गयी कि ''प्रार्थिनी की पुत्री शिवांशी उम्र लगभग 6 वर्ष को दिनांक 03.07.2022 को स्कूल से वापस घर आ रही थी। समय लगभग 2 बजे मेरे घर के बाहर से मेरे भाई सुनील का साला विनोद पुत्र सन्तू निवासी बिलारी गोझा थाना सफीपुर व उसका दोस्त रवि मेरी लड़की शिवांशी को जलेबी व दही खिलाने का झांसा देकर बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। विनोद मेरी लड़की का मामा लगता है। जब प्रार्थिनी की पुत्री घर वापस नहीं आयी तो फोन से मैनें विनोद से बात की तो कहने लगा कि तुम्हारी लड़की मेरे पास है व मेरी लड़की से बात भी कराई। अब मैं विनोद से अपनी लड़की को वापस करने के लिए कह रही हूँ तो विनोद मेरी लड़की को वापस नहीं कर रहा है एवं उसके दोस्त रवि के फोन 9125570121 पर सम्पर्क कर बात की गई तो वो भी लड़की को वापस करने से मना कर रहा है एवं मेरे भाई का साला विनोद का मो0नं0–8470909026 जिससे बात हो रही थी। अब मोबाइल बन्द हो गया है। अतः आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।''

3– वादिनी मुकदमा उमादेवी की उपरोक्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना अचलगंज में अभियुक्तगण विनोद व रवि के विरूद्ध धारा 363, 366 भा0दं0सं0 में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 09.07.2022 को दर्ज की गयी।

4– दौरान विवेचना विवेचक द्वारा वादी मुकदमा की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया, गवाहों का बयान अंकित किया गया तथा पर्याप्त साक्ष्य संकलित होने के आधार पर अभियुक्त विनोद के विरूद्ध धारा–364A भा0दं0सं0 में आरोप पत्र संख्या 205/2022 दिनांकित 22.09.2022 तैयार कर न्यायालय प्रेषित किया गया। उक्त आरोप पत्र संज्ञान लेने के पश्चात विद्वान न्यायालय सिविल जज (सी0डि0), एफ0टी0सी0/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उन्नाव द्वारा मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण दिनांकित 07.11.2022 को वाद सत्र सुपुर्द किया गया है।

5– पत्रावली सत्र न्यायालय को सत्र सुपुर्द होने के पश्चात तत्कालीन न्यायालय माननीय सत्र न्यायाधीश, उन्नाव महोदय द्वारा दिनांक 11.04.2023 को अभियुक्त विनोद के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 364A भा0दं0सं0 विरचित किया गया। आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग किया।

6– अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त पर लगाये गये आरोप को साबित करने के

लिए मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है:–

क्रम सं0	अभियोजन साक्षी संख्या	साक्षी का नाम
1.	पी0डब्लू–1	उमा देवी (वादिनी मुकदमा)
2	पी0डब्लू–2	भगवानदीन (वादिनी मुकदमा के पति)
3.	पी0डब्लू–3	हेड0कां0 साहबलाल (चिक एफ0आई0आर0 व जी0डी0 लेखक)
4.	पी0डब्लू–4	उपनिरीक्षक बृजमोहन सैनी (विवेचक)
5.	पी0डब्लू–5	शिवांशी (वादिनी मुकदमा की अपहृता पुत्री)

7– अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त पर लगाये गये आरोप को साबित करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में अभियोजन द्वारा निम्नलिखित अभिलेखों को प्रस्तुत किया गया है एवं उन्हें साबित कराया गया है–

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	प्रपत्र	साक्षी संख्या (साबितकर्ता)
1	**प्रदर्श क–1**	लिखित तहरीर	**पी0डब्लू–1 उमा देवी**
2	**प्रदर्श क–2**	चिक एफ0आई0आर0	**पी0डब्लू–3 हेड0कां0 साहबलाल**
3	**प्रदर्श क–3**	गिरफ्तारी प्रपत्र	**पी0डब्लू–4 उपनिरीक्षक बृजमोहन सैनी**
4	**प्रदर्श क–4**	फर्द बरामदगी अपहृता	
5	**प्रदर्श क–5**	आरोप पत्र	

8– अभियोजन की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए **अभियोजन साक्षी–1** के रूप में **उमा देवी** को परीक्षित कराया गया है, जिसने **मुख्य परीक्षा** में सशपथ बयान दिया है कि, ''घटना दिनांक 03 जुलाई 2022 की समय लगभग दोपहर 3 बजे की है। मेरी बेटी शिवांशी घटना के समय जिसकी उम्र लगभग 6 वर्ष की थी। स्कूल से घर वापस पहुंची ही थी कि दरवाजे से ही मेरे भाई सुनील का साला विनोद पुत्र सन्तू निवासी बिलासी गोझा थाना सफीपुर व उसका दोस्त रवि मेरी बेटी शिवांशी को जलेबी व दही खिलाने के बहाने फुसलाकर अपने साथ लिवा ले गया। जब काफी देर तक बेटी शिवांशी काफी देर तक वापस घर लेकर नहीं आये तब मैने विनोद को फोन किया तब विनोद ने कहा हम शिवांशी को लेकर अपने घर बिलारी गोझा आ गये है और कहा कि कल बेटी को वापस तुम्हारे घर छोड़ जायेगें। अगले दिन शाम तक जब विनोद व रवि मेरी बेटी शिवांशी को घर लेकर वापस घर नहीं आये तो फिर मैनें अगले दिन शाम को ही विनोद को फोन व रवि को फोन किया तो उन्होनें बेटी शिवांशी को दो एक दिन में छोड़ने की बात फिर कही। जब कई दिन बीत जाने के बाद भी विनोद व रवि मेरी बेटी शिवांशी को वापस छोड़ने नहीं आये तब मैनें विनोद से पुलिस में शिकायत करने की बात कही तो विनोद ने कहा कि 5 लाख रूपया हम लोगों को दो अन्यथा तुम्हारी बेटी शिवांशी को मार डालेगें। इसके बाद विनोद ने अपना मोबाइल बन्द भी कर लिया था। उक्त घटना की तहरीर मैनें थाना अचलगंज में दिया था। उक्त तहरीर पत्रावली में सलंग्न कागज सं0–4क/4 है जिस पर बने अपने निशानी अंगूठे की पुष्टि किया जिस पर **प्रदर्श क–1**

डाला गया है। पुलिस ने मेरा बयान लिया था। वह सारी बातें मैनें अपने बयानों में पुलिस को बतायी थी जोसारी बात आज मैनें अदालत में बतायी है तथा वह स्थान पुलिस को दिखाया था। जहॉ से अभियुक्तगण विनोद व रवि मेरी बेटी शिवांशी को बहला फुसला कर घर लिवा ले गये थे। बाद में एक महीना पूरा होने पर दो चार दिन शेष बचे थे। तब पुलिस ने मेरी बेटी शिवांशी को कोरारी मोड़ के पास विनोद के पास मेरी बेटी को बरामद किया था। यही मेरा बयान है।''

बचाव पक्ष की ओर से उक्त साक्षी से प्रति–पृच्छा करने पर उक्त साक्षी ने प्रति पृच्छा में यह बयान दिया कि '' **शिवांशी किसी के साथ जाते नहीं देखा था**, उस समय मेरी तबियत खराब थी। मैं घर पर लेटी थी। बेटी राजकीय स्कूल में, स्कल गांव अचलगंज के विद्यालय में पढ़ती थी। मुल्जिम विनोद मेरे भाई का साला रिश्ते में लगता है। मेरे भाई का साला है। रिश्ते में वह रिश्तेदार लगता था। घर आना जाना था। पुरवाखेड़ा में मेरा भाई रहता था। पुरवा खेड़ा मेरे ग्राम से 2 किलोमीटर के लगभग दूर होगा। मेरे घर से मुल्जिमान का कभी कभार आना जाना होता रहता था। मैनें रवि को भी मुल्जिम इसलिये बनाया था क्योंकि वह विनोद के साथ आता जाता था। मैनें स्वयं अपनी आंखों से दोनों को मेरे घर आते जाते देखा था। रवि कहां का रहने वाला था, मैं नहीं बता सकती। जब रिश्तेदार के साथ आ रहा है तो मैं क्या ज्यादा पूंछतांछ करूं। अचलगंज में ही थाना अचलगंज है। थाना मेरे घर से थोड़ी दूर पर है। इक्जैक्ट दूरी नहीं बता सकती क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं हूॅ। लड़की दो बजे के करीब गई थी, स्कूल से। मुझे आधा घण्टा बाद बताया कि मामा शिवांशी को दही जलेबी खिलाने लेकर गए हैं। हमने ढूंढा और मैनें ढूंढा, लेकिन नहीं मिली तो विनोद को हमने फोन किया। विनोद ने कहा कि तुम्हारी लड़की मेरे पास है। कल हम लेकर आ जायेगें। रात को हम विनोद के घर लड़की लेने गए, तब तक वह भाग गया था। मैनें उसे रात में ढूंढा, नहीं मिला। देर रात मैं अपने घर आ गई। अचलगंज आ गई थी। अचलगंज में उस वक्त कोई दरख्वास्त नहीं दिया क्योंकि हमने सोचा हमारा रिश्तेदार है। शायद लड़की वापस लाकर दे दे। फिर दूसरे दिन भी ढूंढा, इंतजार किया, नहीं मिली। फिर उस दिन विनोद शाम को फोन किया कि मैं तुम्हारी लड़की मैं वापस नहीं करूंगा, यदि तुमने पुलिस में सूचना लिखाई तो बच्ची को जान से मार दूंगा। इसी डर से थाने में उस दिन रिपोर्ट नहीं लिखा पाई थी। अतः 4–5 दिन बाद मैनें थाने पर रिपोर्ट लिखाई। विनोद ने मेरी बात लड़की से कराई। बच्ची ने कहा विनोद डराते धमकाते हैं, मारते रहते हैं। कहता था जब 5 लाख रूपये दोगी, तब लड़की वापस दूंगा। **चूंकि एफ0आई0आर0 लिखाने के बाद फिरौती के तौर पर 5 लाख रूपये की मांग विनोद ने की इसलिये मैनें एफ0आई0आर0 में 5 लाख फिरौती वाली बात नहीं लिखा पाई थी।** एफ0आई0आर0 में यह याद नहीं कि लड़की द्वारा मारपीट की बात नहीं लिखाई थी क्योंकि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूॅ। प्रदर्श क–1 में मारपीट की बात नहीं लिखी थी। मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूॅ। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। दरोगा जी को बताया था कि लड़की को फिरौती के लिए 5 लाख रूपये की मांग कर रहे थे। बाद में बताया था। दरोगा जी को बयान में बताया था कि लड़की को मारते पीटते थे

लेकिन उन्होनें क्यों नहीं लिखा, मैं नहीं बता सकती हूॅ क्योंकि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूॅ। उन्होनें क्या लिखा मैं नहीं बता सकती। जिस दिन रिपोर्ट लिखाई उस दिन यह बात नहीं बताई थी। बाद में दरोगा जी को बताया था। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूॅ। मेरे बताने पर जो दरोगा जी ने लिखा, उस पर मैनें दस्तखत बनाया था। अपनी सारी सच बातें बता दी थी। जितना पैसा मुल्जिम ने फिरौती मांगी थी, हम अपनी पूरी जमीन जायदाद जीवन भर का बेच देते तो भी उसके फिरौती को पूरा नहीं कर पाते। मेरे घर के बगल विशुना और बउवा मिस्त्री का मकान है। बाबूलाल मेरे ससुर हैं। बद्री हमारे देवर हैं। मनोज घर के बगल आगे रहते हैं। मुझे नहीं पता कि अड़ोस पड़ोस वालों ने जाते हुए देखा कि नहीं। **मेरी बेटी को जाते हुए मेरे बेटे ने अपनी आंखों से देखा था।** विनोद को पुलिस पकड़ कर लाई थी। 3 तारीख को मैनें रिपोर्ट किया। लगभग एक माह के अन्दर मेरी बच्ची मिलती है। बच्ची को पुलिस ने पकड़ा था। **लड़की की डाक्टरी कराई थी। मुंह चेहरा सूजा था। पुलिस ने उसका मेडिकल कराया था।** तारीख याद नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट क्या थी, मैं नहीं बता सकती क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं हूॅ। लड़की अब पढ़ने जाती है, ठीक है। जब बरामद हुई थी, डरी सहमी थी। चेहरा फूला था। मारते थे। रिश्तेदारी का क्या मतलब, जो आज इस कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचा दिया हमें। मेरे पति मजदूरी करते हैं। कभी–कभी बीमार भी हो जाते हैं। मैं भी दूसरे का चौका बर्तन करके जीवन यापन करती हूॅ। मैनें आज तक किसी से पैसे नहीं लिए। विनोद से कभी पैसे नहीं लिए। यह कहना गलत है कि विनोद से मैनें कभी मैनें पैसे नहीं लिए। यह भी कहना गलत है कि मेरे लड़की को मुल्जिमानों द्वारा घर से न ले जाया गया हो और न ही पैसे की मांग की हो और यह भी गलत है कि मैनें झूठा मुकदमा कराया है। यह भी गलत है कि मुल्जिमानों द्वारा अपना एक लाख रूपया वापस न करने के कारण आज झूठा मुकदमा लिखाया। यह कहना गलत है कि मैनें झूठी गवाही दी है।

9– अभियोजन की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए **अभियोजन साक्षी–2** के रूप में **भगवानदीन** को परीक्षित कराया गया है, जिसने **मुख्य परीक्षा** में सशपथ बयान दिया है कि, ''घटना दिनांक 03.07.2022 की है। दोपहर लगभग 2 बजे की है। मेरी बेटी शिवांशी स्कूल से घर के दरवाजे पर वापस आई थी। उसी समय घर के बाहर से मेरे साले का साला विनोद व उसका दोस्त रवि मेरी लड़की शिवांशी को दही जलेबी खिलाने के बहाने बहला फुसलाकर अपने साथ बहका ले गए। जब काफी देर तक मेरी बेटी शिवांशी घर पर नहीं आई तो मैनें तलाश की तथा विनोद से फोन पर बात की। तब विनोद ने कहा कि लड़की मेरे पास है। मेरी बात बेटी से कराई। जब मैनें विनोद से बेटी को वापस करने की मांग की तो उसने 5 लाख रूपये की मांग की थी। विनोद के दोस्त रवि ने भी फोन पर बात किया तो उन दोनेां ने बिना 5 लाख रूपये लिये पुत्री को वापस करने से मना कर दिया तथा कहा कि यदि 5 लाख रूपये नहीं दोगे तो लड़की हत्या कर देगें। पुलिस को मैनें अपना बयान दिया था। जो बात आज अदालत में बताई है वही मैनें पुलिस को भी बता दिया था।''

बचाव पक्ष की ओर से उक्त साक्षी से प्रति–पृच्छा करने पर उक्त साक्षी ने प्रति

पृच्छा में यह बयान दिया कि ''जब घटना हुई है, तब मैं घर पर नहीं था, न ही मैनें बेटी को जाते हुए देखा है। विनोद मेरा रिश्तेदार है। विनोद ने लड़की को मारा है। उसके चेहरे पर सूजन थी। पूरे शरीर पर चोट नहीं थी। **लड़की मिलने के बाद डाक्टरी नहीं कराई थी। लड़की को उठाकर ले गए थे। रिश्तेदार है, इसका क्या मतलब है कि जबरदस्ती ले जायेगें। मैनें उठाकर ले जाते नहीं देखा था।** लड़की से फोन पर बात हुई थी। **जिस दिन लड़की गई उसी दिन उन लोगों ने लड़की से मेरी बात कराई।** हमेशा हमारी बात लड़की से नहीं होती रही, केवल दो दिन बात हुई। मैं किससे कहूं कि थाने नहीं गया क्योंकि मुल्जिमान कह रहे थे थाने पर सूचना दोगे तो लड़की को मार डालेगें। फिरौती में 5 लाख मांग रहे थे। मुल्जिमानों की आवाज को टेप नहीं किया था। **इतना याद नहीं है कि किस फोन नम्बर से फोन आया था, याद नहीं। लास्ट में 12 नम्बर था, फोन पर।** इस वक्त तो हमारी लड़की सुरक्षित है। जैसी लड़की रिश्तेदारी पर गई थी, वैसी नहीं मिली। काफी मारा पीटा गया था, चेहरे पर काफी सूजन थी। उसके पहले मुलिजमान ने साथ कभी नहीं गई। उस दिन उठाकर ले गए थे। उसके पहले रिश्तेदारी में, मॉ के साथ आती जाती थी। मॉ के साथ एकाध घण्टे रिश्तेदारी में जाती आती है। फिर घर वापस आ जाती है। रिपोर्ट में मैनें 5 लाख रूपये मांगने की बात बताई थी। दरोगा जी ने इसके बाबत कोई लिखा पढ़ी न की हो तो मैं नहीं बता सकता हूॅ। **मैं नहीं बता सकता। यदि मेरी पत्नी के तहरीर में 5 लाख फिरौती नहीं लिखी गई। इसकी वजह मैं क्या बताऊँ कि पुलिस ने क्या लिखा है।** कई बार कहने पर रिपोर्ट लिखी गई। रिपोर्ट लिखाने के 18–19 दिन बाद मुल्जिम पकड़ा गया। लड़की शायद 29 तारीख को मिली थी। पूरा याद नहीं आ रहा है कि कौन सी तारीख थी। लड़की हमें थाने में मिली थी। मुल्जिम भी थाने में ही था। किस तारीख को मिले थे, इतना याद नहीं है। शायद लड़की 29.07 को मिली, इतना याद नहीं है। लड़की किस तारीख को मिली याद नहीं है। घर किस तारीख को याद नहीं है। यह कहना गलत है कि मेरी लड़की के गायब होने पर मुल्जिमान द्वारा 5 लाख की फिरौती नहीं मांगी गई वरन मुल्जिम द्वारा 5 लाख रूपये की मांग की गई। यह भी गलत है कि घटना को झूठ बता रहा हूॅ वरन सारी घटना सत्य है।''

10– अभियोजन की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए **अभियोजन साक्षी–3** के रूप में **हेड0कां0 साहबलाल** को परीक्षित कराया गया है, जिसने **मुख्य परीक्षा** में सशपथ बयान दिया है कि, ''दिनांक 09.07.2022 को मैं थाना अचलगंज उन्नाव में मैं कां0मोहर्रिर के पद पर कार्यरत था। उसी दिन मैनें पत्रावली में सलंग्न कागज सं0–4क/2 तहरीर को प्रभारी निरीक्षक अचलगंज के मौखिक आदेश पर मैनें तहरीर को कम्प्यूटर आपरेटर का हिमांशू से तहरीर अक्षरशः बोल–बोल कर अंकित कराई थी जिसका जिक्र मैनें तहरीर के पुश्ट भाग पर मु0अ0सं0–188/22 धारा–363, 366 भा0दं0सं0 थाना अचलगंज जनपद उन्नाव लेकर अपने लिखकर हस्ताक्षर बनाये थे। गवाह ने बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की। पत्रावली में सलंग्न कागज सं0–4क/1 लगायत 4क/3 है जिस पर थाना प्रभारी के हस्ताक्षर बने हैं जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया है एवं उक्त वाद की

जी0डी0 कायमी सी0सी0 चेयर पर बैठे कम्प्यूटर आपरेटर हिमांशू से बोल–बोल कर अंकित कराई गयी थी जिसकी रपट सं0–27 दिनांक 09.07.22 समय 14.21 बजे की थी। विवेचक महोदय ने मेरे बयान लिये थे।''

बचाव पक्ष की ओर से उक्त साक्षी से प्रति–पृच्छा करने पर उक्त साक्षी ने प्रति पृच्छा में यह बयान दिया कि '' तहरीर दर्ज होने के पहले इस सम्बन्ध में कोई मुकदमा कायम नहीं हुआ। यह कहना गलत है कि बाद में एफ0आई0आर0 एण्टी टाइम दर्ज होने के समय किये गये। यह कहना गलत है कि दरोगा जी की राय मशवरे से तहरीर तैयार की गयी हो।''

11– अभियोजन की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए **अभियोजन साक्षी–4** के रूप में **उपनिरीक्षक बृजमोहन सैनी** को परीक्षित कराया गया है, जिसने **मुख्य परीक्षा** में सशपथ बयान दिया है कि, '' दिनांक 09.02.2022 को मैं थाना अचलगंज में वरिष्ठ एस0आई0 के पद पर कार्यरत था। उसी दिन मु0अ0सं0–188/22 थाना 363, 366 भा0द0सं0 बनाम विनोद की विवेचना ग्रहण कर प्रथम पर्चा किता किया जिसमें नकल चिक, नकल रपट कायमी, बयान एफ0आई0 लेखक साहबलाल अंकित किया। पर्चा 2 दिनांक 09.07.22 को किता किया जिसमें बयान वादिनी श्रीमती उमादेवी अंकित किया तथा वादिनी उमा देवी की निशादेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर मौके पर ही नक्शा नजरी घटनास्थल तैयार किया जो पत्रावली में सलंग्न कागज सं0–8क है जिस पर हस्ताक्षर बने हुए हैं जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया है। पर्चा सं0–2 व 4 व 5 व 6 में वांछित अभियुक्त की तलाश किया जाना अंकित है। दिनांक 30.07.22 को पर्चा सं0–7 किता किया जिसमें मजीद बयान वादिनी उमा देवी तथा बयान पति वादिनी श्री भगवान दीन अंकित किया। अब तक की विवेचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा–363, 366 भा0दं0सं0 का अपराध कारित होना नहीं पाया गया तथा साक्ष्य संकलन, बयान आदि के आधार पर उपरोक्त वाद में धारा–365 भा0दं0सं0 का अपराध कारित होना पाया गया। अस्तु उपरोक्त वाद में धारा–363, 366 भा0दं0सं0 का विलोपन करते हुए 364 भा0दं0सं0 की धारा संस्थित की गयी तथा अग्रिम विवेचना धारा 364 भा0दं0सं0 के अभियुक्तगण विनोद व रवि की विवेचना की गयी। पर्चा सं0–8 दिनांक 01.08.22 को किता किया जिसमें मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त विनोद को दिनांक 01.08.22 को ही समय 7.30 ए0एम0 पर कोरारी मोड़ के पास गिरफ्तार किया तथा मौके पर ही गिरफ्तारी प्रपत्र पत्रावली में सलंग्न कागज सं0–5क/8 तैयार किया जिस पर मेरे हस्ताक्षर तथा सम्बन्धित लोगों के अलामात बने हुये है तथा जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया है। अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार करते समय उसके कब्जे से अपहृता पीड़िता बच्ची शिवांशी पुत्री भगवानदीन निवासिनी अचलगंज बरामद किया तथा उक्त पीड़िता की फोटो जो मेरे पास थी उससे उसके चेहरे का मिलान किया। पीड़िता से मिलान खा गयी थी तथा पीड़िता को महिला आरक्षी को सुपुर्द किया तथा फर्द बरामदगी पीड़िता शिवांशी मौके पर ही तैयार की जो पत्रावली में सलंग्न कागज सं0–5क/5 है जिस पर मेरे हस्ताक्षर तथा सम्बन्धित लोगों के अलामात बने हुये हैं तथा जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया है।

इसी पर्चे में बयान पीड़िता अन्तर्गत धारा–161 दं0प्र0सं0 अंकित किया तथा बयान अभियुक्त विनोद अंकित किया। पर्चा सं0–9 दिनांक 06.08.22 को किता किया जिसमें मुख्य न्यायिक मजि0 उन्नाव की अनुमति से बयान अपहृता अन्तर्गत धारा–164 दं0प्र0सं0 अवलोकन किया। पर्चा सं0–10 व 11 में अभियुक्त का बयान हेतु माननीय न्यायालय से अनुरोध अंकित है। पर्चा सं0–12 दि0–08.09.22 को किता किया जिसमें वादिनी मुकदमा एवं अपहृता से पूंछतांछ कर कुछ सवालों के जवाब अंकित किये। अब तक की तमामी विवेचना व साक्ष्य सकंलन से मुकदमा में धारा–364ए भा0दं0सं0 का अपराध कारित होना पाया गया तथा 364 भा0दं0सं0 का अपराध होना नहीं पाया गया। अतः धारा–364 भा0द0सं0 का विलोपन करते हुए धारा–364ए भा0द0सं0 की बढ़ोत्तरी की गयी तथा अग्रिम विवेचना धारा–364ए के अन्तर्गत की गयी। पर्चा सं0–13 में अभियुक्त रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायालय से अनुरोध किया गया। पर्चा सं0–14 दिनांक 20.09.22 को किता किया जिसमें अभियुक्त उपरोक्त की धारा–364ए भा0द0सं0 में माननीय न्यायालय से अनुरोध किया। पर्चा सं0–15 दिनांक 21.09.22 को किता किया जिसमें बयान स्वतंत्र साक्षी श्री सतीश कुमार व श्री बेचेलाल अंकित किया। पर्चा सं0–16 दिनांक 22.09.22 को किता किया जिसमें बयान नामित आरोपी रवि व सुरजन लाल अंकित किया। अब तक की तमामी विवेचना व साक्ष्य संकलन के आधार पर उपरोक्त वाद में नामित आरोपी रवि व सुरजनलाल की संलिप्तता नहीं पायी गयी तथा उसका नाम घटना से पृथक किया गया तथा अग्रिम विवेचना अभियुक्त के विरूद्ध धारा–364ए अमल में लायी गयी। अब तक की तमामी विवेचना, साक्ष्य संकलन, बयान गवाहान, निरीक्षण घटनास्थल आदि के आधार पर अभियुक्त विनोद पुत्र सन्तू निवासी बिलारी गोझा थाना सफीपुर उन्नाव के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा–364 भा0दं0सं0 बखूबी साबित होने पर आरोप पत्र सं0–205/22 दिनांकित 22.09.22 माननीय न्यायालय प्रेषित किया। उक्त आरोप पत्र पत्रावली में सलंग्न कागज सं0–3क/1 लगायत 3क/5 है जिस पर मेरे हस्ताक्षर बने हुये हैं जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया है।''

बचाव पक्ष की ओर से उक्त साक्षी से प्रति–पृच्छा करने पर उक्त साक्षी ने प्रति पृच्छा में यह बयान दिया कि ''तफ्तीश के किसी भी कागज पर सी0ओ0 साहब के हस्ताक्षर है, दिनांक नहीं है। विवेचना धारा 363, 366 आई0पी0सी0 में प्रारम्भ की। पीड़िता व अभियुक्त आपस में रिश्तेदार थे। मुंह बोला मामा तहरीर के अनुसार लगता है। साक्षी ने कहा सगा मामा नहीं है, न ही तफ्तीश में आया है। वादी की तहरीर में यह लिखा है कि उसकी (वादिनी की) लड़की मेरे (विनोद के) पास है, यह बात फोन से वादिनी से अभियुक्त विनोद ने कहा। प्रथम सूचना की तहरीर में लिखा है विनोद (अभियुक्त) ने वादिनी की बेटी (अपहृता) की बात भी करायी। सी0डी0–2 में भी विवेचना 363 व 366 आई0पी0सी0 में किया जाना उल्लिखित है। तहरीर के लिखे जाने वाले दिन मैनें अभियुक्त के घर व कई जगह दबिश दिया था। पर्चा–1 में मेरे द्वारा मुल्जिम के घर पर दबिश देने का उल्लेख नहीं है। स्वयं कहा कि मुल्जिम ने अपना फोन बंद कर लिया था। रवि नाम का एक व्यक्ति का जिक्र वादिनी की तहरीर में था। सी0डी0–2 में वादिनी के

बयान को किस समय अंकित, यह ऊपर लिखा है। वह 16 से 19 बजे तक के बीच में लिखा है। निरीक्षण घटनास्थल का समय अंकित नहीं है। सी0डी0–3 में विवेचना 363 व 366 आई0पी0सी0 की होना लिखा है। रवि सफीपुर का रहने वाला है। सी0डी0–4 में मैनें अज्ञात लिखा है। बाद की विवेचना में पता चला कि सफीपुर का रहने वाला है। पर्चा नं0–5 में अभियुक्तगण रवि व विनोद के विरूद्ध विवेचना जारी रही। पर्चा सं0–6 व 7 में रवि की बल्दियत व सकूनत (निवास स्थान) नहीं पता चला। विवेचना 363 व 366 आई0पी0सी0 में चली। पर्चा सं0–1 से 7 तक की विवेचना में 364 आई0पी0सी0 की साक्ष्य नहीं मिली। **मैनें सी0डी0आर0 व व्याइस रिकार्डिंग का संकलन नहीं किया।** रवि के खिलाफ मैनें कोई साक्ष्य नहीं पाया इसलिये आरोप पत्र में उसका नाम नहीं है। यह कहना गलत है कि सारी विवेचना मैनें थाने में बैठकर की हो। यह भी गलत है कि वादिनी के साथ मिलकर झूठा आरोप लगाया है।''

12– अभियोजन की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए **अभियोजन साक्षी–5** के रूप में **शिवांशी** को परीक्षित कराया गया है, जिसने **मुख्य परीक्षा** में सशपथ बयान दिया है कि, ''मेरी मम्मी का नाम उमा देवी है। मेरे पापा का नाम भगवानदीन है। इस समय कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। जब मेरे साथ घटना घटी थी तब मैं 6 साल की थी। तब मैं (घटना के समय) स्कूल पढ़ने जाती थी। घटना मेरे साथ दोपहर में घटी थी। जब मैं स्कूल से वापस आयी थी। मैं घर के बाहर बरामदे में थी। उसी समय मामा विनोद आये, कहा कि चलो तुमको दही जलेबी खिला लाये। मैं मामा के साथ चली गयी। मामा ने मुझे दही जबेबी नहीं खिलाई और अपने घर बिलारी ओझा लेकर चले गये। वहॉ मुझे एक दिन घर पर रखा था। खाना देते थे। मामा मुझे कहीं और ले जाकर एक दीदी के यहॉ बेंच दिया। मामा, मम्मी से कहते थे कि पांच लाख रूपया दो, नहीं तो मार डालेगें। जहॉ दीदी के यहॉ मुझे रखा गया। बेचा था, वहॉ दीदी लोग मुझे मोबाइल फोन पर नाच दिखाती थी। पीछे कटघरे में खड़े अभियुक्तों में एक अभियुक्त के सम्बन्ध में कहा कि जो एक सफेद शर्ट पहना है, वही मेरा मामा है, जिसने मुझे बेचा था। मुझे पुलिस वाली दीदी मामा व वे दीदी जिनके पास बेचा था, से छुड़ाकर लायी थी। आज के पहले मैं पुलिस वालों के साथ जिनमें पुलिस वाली दीदी भी थी, के साथ न्यायालय में बयान देने आयी थी तथा बयान दिया था।''

बचाव पक्ष की ओर से उक्त साक्षी से प्रति–पृच्छा करने पर उक्त साक्षी ने प्रति पृच्छा में यह बयान दिया कि ''मेरे मामा, अम्मा व बप्पा मेहनत, मजदूरी व गरीबी का जीवन जीते हैं। मैं मामा के घर आती जाती थी। मैं मामा के घर नहीं आयी गयी हूँ। अचलगंज में मैं किस मोहल्ले में रहती हूँ, नहीं बता सकती हूँ। मैं नहीं बता सकती कि घ ार का दरवाजा किस दिशा में है। मैं नहीं बता सकती हूँ कि मेरे घर के उत्तर, दक्षिण व पूरब, पश्चिम कौन रहता है। मैं तीन बहन व तीन भाई हूँ। अम्मा, बप्पा सब मिलाकर घर में आठ लोग रहते हैं। अगर पुलिस ने मेरे बयान में यह लिखा है कि विनोद ने दुकान पर ले जाकर समोसा, जलेबी खिलाया तो वह गलत लिखाया है। मैनें ऐसा बयान पुलिस को नहीं दिया है। उस समय मैं गांव के सरकारी स्कूल में कक्षा 2 में पढ़ती थी। मैं दरोगा

जी को यह बयान नहीं दिया था कि मैं कक्षा 1 में पढ़ती थी। अगर मेरे बयान में दरोगा जी ने यह लिखा कि मैं कक्षा 1 में पढ़ती थी तो गलत लिखा है। करीब चार साल बाद मैं आज गवाही देने आयी हूॅ। मैं नहीं बता सकती कि मेरे साथ स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते थे। मैं यह भी नहीं बता सकती कि स्कूल में कितने मास्टर थे। स्कूल घर से कितने किलोमीटर दूर है, मैं नहीं बता सकती। स्कूल का दरवाजा किस तरफ है, यह भी नहीं मालूम। कितने विषय पढ़ाये जाते हैं, यह भी नहीं बता सकती। मेरे घर पर कुल आठ सदस्य हैं। सभी भाई बहिन पढ़ते हैं। जब घर से मैं गई हूॅ, उस समय दो बजा था। अम्मा बप्पा बहिन भाई से मैनें नहीं बताया कि मैं दुकान पर समोसा खाने जा रही हूॅ। जब मैं घर से गयी थी उस समय पापा नहीं थे और सब लोग घर पर मौजूद थे। दो बजे के बाद मैं खाने के समय से होकर दुकान पर गयी थी। मेरी मॉ के पास फोन नम्बर कौन सा है, मैं नहीं बता सकती हूॅ और मामा के पास कौन सा फोन नम्बर नहीं है, मैं नही बता सकती हूॅ। मम्मी को मुल्जिम द्वारा किस समय फोन किया गया, मैं नहीं बता सकती हूॅ। जब मामा का फोन आया और मम्मी की बात चीत हो रही थी, तब मामा वहॉ पर थे। मम्मी के पास पापा नहीं थे। कब और किस तारीख को मुझे ले जाया गया, तिथि, तारीख भी मैं नहीं बता सकती हूॅ। यह कहना गलत है कि मामा मुझे न ले गया हो। यह भी कहना गलत है कि मॉ बाप के सिखाने से झूठा बयान दे रही हूॅ। यह भी कहना गलत है कि मेरे समय कोई घटना घटित न हुई हो और मामा ने पांच लाख रूपया मांगा हो।

13– अभियोजन साक्ष्य के उपरान्त दिनांक 26.05.2026 को अभियुक्त विनोद का धारा–313 दं0प्र0सं0 का बयान अंकित किया गया जिसमें अभियुक्त ने विरचित प्रश्नोत्तरी प्रश्न सं0–1 लगायत 9 का उत्तर गलत होना बताया है। प्रश्न सं0–10 का उत्तर रंजिशन मुकदमा चलाया जाना कहा है। प्रश्न सं0–11 का उत्तर सफाई साक्ष्य देना कहा है। प्रश्न सं0–12 का उत्तर नहीं कहना कहा है।

14– बचाव पक्ष की तरफ से अपने सफाई में कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

15– अभियोजन द्वारा अपने बहस में यह मौखिक तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन ने अपने साक्ष्य से अभियोजन प्रलेख लिखित तहरीर प्रदर्श क–1, चिक एफ0आई0आर0 प्रदर्श क–2, गिरफ्तारी प्रपत्र प्रदर्श क–3, फर्द बरामदगी व्यपहृता प्रदर्श क–4 व आरोप पत्र को प्रदर्श क–5 के रूप में साबित किया है। अभियोजन कथानक संदेह से परे साबित है। अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए दण्डादेश पारित किया जाये।

16– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने मौखिक बहस में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि, व्यपहृता पुत्री शिवांशी अपने रिश्तेदारी (अभियुक्त/मामा के घर) गयी थी। अभियुक्त द्वारा व्यपहृता शिवांशी के साथ कोई अश्लीलता, अभद्रता व मारपीट नहीं की गई है। प्रस्तुत घटना के मात्र दो ही प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं। धारा 364ए भा0दं0सं0 के अपराध गठन हेतु अभियोजन अपने साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा व्यपहृता को छोड़े जाने के बदले में पांच लाख फिरौती की रकम मांगे जाने का कथन न तो लिखित तहरीर में व न ही व्यपहृता के धारा 161 दं0प्र0सं0 व धारा 164 दं0प्र0सं0 के बयान में है। दोनों परिवार

बहुत गरीब हैं। पांच लाख फिरौती मांगने की क्षमता न तो अभियुक्त में है और न ही पांच लाख फिरौती अभियुक्त को देने की क्षमता वादिनी में है। वादिनी के पति/व्यपहृता के पिता ने अभियुक्त से 50,000/—रू0 उधार लिया था, नहीं दिया तो प्रस्तुत मामले में उसे फंसा दिया। अभियुक्त निर्दोष है। अतः उसे दोषमुक्त किया जाये।

17— पत्रावली का अवलोकन किया।

18— जहॉ तक अभियोजन द्वारा अभियुक्त विनोद के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा—364ए भा0दं0सं0 को संदेह से परे साबित करने का प्रश्न है।

धारा 361 भा0दं0सं0 व धारा 364ए के प्रावधान का उल्लेख करना समीचीन है।

धारा 361 भा0दं0सं0— विधि पूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरणः—जो कोई किसी अप्राप्तवय को, यदि वह नर हो, तो 16 वर्ष से कम आयु वाले को, या यदि नारी हो तो 18 वर्ष से कम आयु वाले को या किसी विकृतचित्त व्यक्ति को, ऐसे अप्राप्तवय या विकृतचित्त व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से ऐसे संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है, वह ऐसे अप्राप्तवय या ऐसे व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण करता है, कहा जाता है।

स्पष्टीकरणः— इस धारा में ''विधिपूर्ण संरक्षक'' शब्द के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जिस पर ऐसे अप्राप्तवय या अन्य व्यक्ति की देखरेख या अभिरक्षा का भार विधिपूर्वक न्यस्त किया गया है।

अपवाद— इस धारा का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति के कार्य पर नहीं है, जिसे सदभावपूर्वक यह विश्वास है कि वह किसी अधर्मज शिशु का पिता है, या जिसे सद्भावपूर्वक यह विश्वास है कि वह ऐसे शिशु की विधिपूर्ण अभिरक्षा का हकदार है जब तक कि ऐसा कार्य दुराचारिक या विधि विरूद्ध प्रयोजन के लिए न किया जाये।

''बहकाकर ले जाने'', शब्द के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के लालच, तथा प्रलोभन सम्मिलित हैं। किसी स्वस्थ मनोरंजन तथा सुखमय जीवन का प्रलोभन देकर अपने साथ चलने के लिए सहमति कर लेना बहकाकर ले जाना है।

धारा—364ए भा0दं0सं0ः— जो कोई इसलिये किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करेगा या ऐसे व्यपहरण या अपहरण के पश्चात ऐसे व्यक्ति को हिरासत में रखेगा और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु या उसको क्षति कारित करने की धमकी देगा या अपने आचरण से ऐसी यथोचित आशंका पैदा करेगा कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है या उसको क्षति की जा सकती है या ऐसे व्यक्ति को क्षति या उसकी मृत्यु कारित करेगा जिससे कि सरकार या किसी विदेशी राज्य या अन्तराष्ट्रीय अन्तर—सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को किसी कार्य को करने या करने से रोकने के लिए या फिरौती देने के लिए विवश किया जाये, तो उसे मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास से दण्डित किया जायेगा और साथ ही आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।

19— मूल पत्रावली का अवलोकन किया। धारा—364ए भा0दं0सं0 के अपराध गठन व दोषसिद्धि हेतु यह साबित होना आवश्यक है कि व्यपहरण/अपहरणकर्ता द्वारा व्यपहृत/अपहृत व्यक्ति के निरूद्धि के दौरान उसके मृत्यु या उपहति कारित करने या

कारित कराने की कोई धमकी अथवा ऐसा कोई आचरण दर्शित किया जाये जिससे अपहृत/व्यपहृत व्यक्ति की हत्या या उपहति कारित करने की आंशका उत्पन्न हो अथवा अपहृत/व्यपहृत व्यक्ति की हत्या या उपहति करने हेतु किसी कार्य को करने या करने से विरत रहने या फिरौती की मांग व फिरौती को अदा करने के लिए बाध्य किया गया हो।

20– <u>घटना की तिथि पर पीड़िता शिवांशी की आयुः–</u>

वादिनी उमादेवी ने अपनी लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 में घटना की तिथि 03.07.2022 को पीड़िता/अपहृता पुत्री शिवांशी की उम्र लगभग 6 वर्ष होना बताया है। धारा–161 दं0प्र0सं0 के मज़ीद बयान में भी वादिनी उमा देवी ने अपनी पुत्री शिवांशी की उम्र घटना की तिथि पर लगभग 6 वर्ष होना बताया है। बयान पति वादिनी/पिता पीड़िता श्री भगवानदीन ने भी धारा–161 दं0प्र0सं0 के अपने मज़ीद बयान में घटना की तिथि पर अपनी पुत्री शिवांशी की उम्र लगभग 6 वर्ष होना बताया है। धारा 164 दं0प्र0सं0 के बयान में पीड़िता/व्यपहृता शिवांशी की माता ने उसकी उम्र 6 वर्ष बतायी है। पीड़िता ने अपने 164 दं0प्र0सं0 के बयान में यह कहा है कि वह कक्षा 1 में पढ़ती है। पी0डब्लू–1 उमादेवी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया है कि घटना के समय उसकी बेटी शिवांशी की उम्र लगभग 6 वर्ष थी। अभियोजन साक्षी पी0डब्लू–5 पीड़िता शिवांशी ने अपने मुख्य परीक्षा साक्ष्य में यह बयान दिया है कि जब उसके साथ घटना घटी थी, उसकी आयु 6 वर्ष थी। अतः उक्त से घटना की तिथि पर पीड़िता शिवांशी की आयु 18 वर्ष से कम होने के कारण उसका अप्राप्तवय (अवयस्क) होना दर्शित है।

हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता अधिनियम 1956 की धारा–4(ब) के अनुसार ''अवयस्क'' वह है, जो 18 वर्ष से कम आयु का है। उक्त अधिनियम की धारा 4(ब) में दी गयी ''संरक्षक'' की परिभाषा के अनुसार– संरक्षक से अभिप्रेत एक ऐसा व्यक्ति है, जो अवयस्क के शरीर या सम्पत्ति या उसके शरीर एवं सम्पत्ति दोनों की देखभाल करता हो। हिन्दू विधि के अनुसार अवयस्क बालक व बालिका का संरक्षक उसका पिता होता है।

प्रस्तुत मामले में वादिनी, उसके पति भगवानदीन, पीड़िता शिवांशी के उपरोक्त बयान व पी0डब्लू–1 वादिनी व पी0डब्लू–5 शिवांशी के उपरोक्त साक्ष्य से पीड़िता शिवांशी का घटना की तिथि पर (घटना के समय उम्र लगभग 6 वर्ष) 18 वर्ष से कम आयु का होने के आधार पर अप्राप्तवय होना साबित है।

21– जहॉ तक अभियुक्त द्वारा वादिनी की अवयस्क पुत्री के शिवांशी के व्यपहरण के उपरान्त निरूद्धी के दौरान उसे छोड़ने के बदले में उसके माता पिता से पांच लाख रूपया फिरौती की मांग व उक्त तथ्य को अभियोजन द्वारा साबित करने का प्रश्न है। उक्त के सम्बन्ध में न्यायालय का यह अभिमत है कि वादिनी ने अपने **लिखित तहरीर प्रदर्श क–1** में यह उल्लिखित किया है कि ''दिनांक 03.07.2022 समय लगभग 2.00 बजे दिन स्कूल से वापस आते समय वादिनी की अवयस्क पुत्री शिवांशी उम्र लगभग 6 वर्ष को मेरे भाई सुनील का साला विनोद व उसका दोस्त रवि उसकी लड़की शिवांशी को जलेबी व दही खिलाने का झांसा देकर बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। प्रार्थिनी की पुत्री के घर वापस न आने पर वादिनी द्वारा फोन से विनोद से बात करने पर उसके द्वारा बताया गया

कि उसकी लड़की उसके पास है व वादिनी की लड़की से उसकी बात कराई। वादिनी द्वारा उसकी लड़की को वापस करने हेतु विनोद से कहने पर विनोद उसकी लड़की को वापस नहीं कर रहा है और वापस करने से मना कर रहा है। अब विनोद का मोबाइल बन्द हो गया है।'' वादिनी के उपरोक्त लिखित तहरीर में वादिनी की व्यपहृत पुत्री शिवांशी को छोड़ने के बदले अभियुक्त विनोद द्वारा वादिनी व उसके परिवारीजन से किसी फिरौती की मांग किया जाना उल्लिखित नहीं है परन्तु अभियुक्त विनोद द्वारा वादिनी की अवयस्क पुत्री शिवांशी उम्र लगभग 6 वर्ष को उसके माता पिता के सहमति के बिना उसके विधिक संरक्षक की संरक्षकता से बाहर दही जेलबी खिलाने के बहाने बहला फुसलाकर ले जाना परिलक्षित है। अर्थात वादिनी द्वारा साबित प्रलेख लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 से अभियुक्त विनोद द्वारा वादिनी की अवयस्क पुत्री को दही जलेबी खिलाने के बहाने व्यपहरण करना परिलक्षित है।

22– **अभियोजन साक्षी पी0डब्लू–1 वादिनी उमा देवी ने अपनी मुख्य परीक्षा** में यह साक्ष्य दिया है कि, ''जब मैनें विनोद को फोन किया तब विनोद ने कहा कि हम शिवांशी को लेकर अपने घर बिलारी गोझा आ गये हैं और कल बेटी को वापस तुम्हारे घर छोड़ जायेगें। अगले दिन शाम तक जब विनोद मेरी बेटी शिंवाशी को घर लेकर वापस नहीं आया तो मैनें अगले दिन शाम को विनोद को फोन किया तो उसने बेटी शिवांशी को, दो–एक दिन में छोड़ने की बात फिर कही। जब कई दिन बीतने के बाद भी विनोद ने मेरी बेटी शिवांशी को वापस नहीं छोड़ा, मैनें विनोद से पुलिस में शिकायत करने की बात कही तो विनोद ने कहा पांच लाख रूपया हमलोगों को दो अन्यथा तुम्हारी बेटी शिवांशी को मार डालेगें। अभियुक्त विनोद व रवि मेरी बेटी शिवांशी को बहला फुसलाकर घर लिवा ले गये थे। बाद में एक महीना पूरा होने पर दो–चार दिन शेष बचे थे तब पुलिस ने मेरी बेटी शिवांशी को कोरारी मोड़ के पास विनोद के पास से मेरी बेटी को बरामद किया था।'' अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू–1 ने अपनी जिरह** में यह कहा है कि ''मैनें स्वयं अपनी आंखों से दोनों को अपने घर में आते जाते देखा है। विनोद को फोन करने पर विनोद ने कहा कि तुम्हारी लड़की मेरे पास है। कल हम लेकर आ जायेगें। रात को हम विनोद के घर लड़की लेने गये, तब तक वह भाग गया था। मैनें उसे रात में ढूंढा नहीं मिला। फिर उस दिन विनोद शाम को फोन किया। मैं तुम्हारी लड़की वापस नहीं करूंगा। यदि तुमने पुलिस में सूचना लिखायी तो बच्ची को जान से मार दूंगा। विनोद ने मेरी बात लड़की से करायी। बच्ची ने कहा विनोद डराते धमकाते हैं। कहता था जब पांच लाख रूपये दोगी तब बच्ची वापस दूंगा। जितना पैसा मुल्जिम ने फिरौती मांगी थी। हम अपनी पूरी जमीन जायदाद जीवन भर का बेच देते तो भी उसके फिरौती को पूरा नहीं कर पाते। मेरी बेटी को जाते हुए मेरे बेटे ने अपनी आंखों से देखा था। विनोद को पुलिस पकड़कर लायी थी। लगभग एक माह के अन्दर मेरी बच्ची मिलती है बच्ची को पुलिस ने पकड़ा था। मैनें विनोद से कभी पैसे नहीं लिए।''

अभियोजन साक्षी पी0डब्लू–2 भगवानदीन ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया है कि, ''मेरे साले का साला विनोद मेरी लड़की शिवांशी को दही जलेबी खिलाने के

बहाने फुसलाकर अपने साथ बहका ले गया। मेरी बेटी शिवांशी घर पर नहीं आयी तो मैनें तलाश किया। विनोद ने फोन पर बताया कि लड़की मेरे पास है। लड़की से मेरी बात भी कराई। जब मैनें विनोद से बेटी को वापस करने की मांग की तो उसने पांच लाख रूपये की मांग की थी और कहा कि उक्त पांच लाख रूपये नहीं दोगे तो लड़की की हत्या कर देगें।'' **पी0डब्लू–2 ने अपनी जिरह में** यह बयान दिया है कि, ''लड़की को उठाकर ले गये थे। जिस दिन लड़की गयी उसी दिन उनलोगों ने लड़की से मेरी बात कराई। फिरौती में पांच लाख मांग रहे थे। रिपोर्ट लिखाने के 18–19 दिन बाद मुल्जिम पकड़ा गया था। लड़की हमें थाने में मिली थी।''

अभियोजन साक्षी पी0डब्लू–4 विवेचक उपनिरीक्षक बृजमोहन सैनी ने अपने मुख्य परीक्षा बयान में यह साक्ष्य दिया है कि, ''मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त विनोद को दिनांक 01.08.2022 को ही समय 7.30 ए0एम0 पर कोरारी मोड़ के पास गिरफ्तार किया तथा मौके पर ही गिरफ्तारी प्रपत्र प्रदर्श क–3 तैयार किया था। अभियुक्त विनोद को गिरफ्तार करते समय उसके कब्जे से अपहृता पीड़िता बच्ची शिवांशी पुत्री भगवानदीन निवासिनी अचलगंज बरामद किया तथा पीड़िता की फोटो जो मेरे पास थी उससे उसके चेहरे का मिलान किया। पीड़िता से मिलान खा गयी थी। फर्द बरामदगी पीड़िता प्रदर्श क–4 मौके पर ही तैयार की तथा सम्बन्धित अलामात बनवाये गये।''

अभियोजन साक्षी पी0डब्लू–5 पीड़िता शिवांशी ने अपने मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया है कि, ''जब मैं स्कूल से वापस आयी। उसी समय मामा विनोद आये और कहा कि चलो तुमको दही जलेबी खिला लायें। मैं चली गयी। मामा ने मुझे दही जलेबी नहीं खिलायी और अपने घर बिलोरी ओझा लेकर चले गये। मुझे एक दिन घर पर रखा तथा कहीं और ले जाकर एक दीदी के यहॉ बेंच दिया। मामा मम्मी से कहते थे कि पांच लाख रूपया दो, नहीं तो मार डालेगें। पीछे कटघरे में खड़े अभियुक्त ने एक अभियुक्त के सम्बन्ध में कहा कि जो एक सफेद शर्ट पहना, वही मेरा मामा है जिसने मुझे बेचा था।''

अभियोजन साक्षीगण पी0डब्लू–1 उमा देवी, पी0डब्लू–2 भगवानदीन, पी0डब्लू–4 उपनिरीक्षक बृजमोहन सैनी व पी0डब्लू–5 पीड़िता शिवांशी के उपरोक्त साक्ष्य के विश्लेषण के उपरान्त न्यायालय का अभिमत है कि वादिनी उमा देवी ने अपने लिखित तहरीर में अभियुक्त विनोद द्वारा उसकी पुत्री को छोड़ने के बदले में पांच लाख फिरौती मांगे जाने की बात कहीं उल्लिखित नहीं किया है, न ही अपने धारा 161 दं0प्र0सं0 के बयान में कहा है, न ही पीड़िता के धारा 161 दं0प्र0सं0 के बयान में ऐसा कोई तथ्य आया है। पी0डब्लू–2 (वादिनी के पति) के साक्ष्य में यह आया है कि उसकी पुत्री को छोड़ने के बाबत जब उसकी अभियुक्त विनोद से बात हुई (एफ0आई0आर0 हेतु लिखित तहरीर देने के पूर्व) तभी वह पांच लाख रूपया मांग रहा था। यदि ऐसा तथ्य वादिनी के पति साक्षी पी0डब्लू–2 के संज्ञान में लिखित तहरीर देने के पूर्व से था तो उसे अपनी पत्नी वादिनी को उक्त तथ्य बताना चाहिये था और वादिनी को उक्त फिरौती के मांग के तथ्य का उल्लेख अपने लिखित तहरीर में करना चाहिये था जो कि वादिनी ने नहीं किया। इससे दर्शित होता है कि वादिनी द्वारा अभियुक्त के फिरौती की मांग की बात किसी के कहने व

समझाने बुझाने पर न्यायालय में बतायी है। वादिनी के साक्ष्य में यह तथ्य भी आया है कि एफ0आई0आर0 लिखाने के बाद अभियुक्त फिरौती मांग रहा था इसलिये उसने एफ0आई0आर0 में उक्त तथ्य का उल्लेख नहीं किया। इस प्रकार पी0डब्लू–1 के साक्ष्य व पी0डब्लू–2 के साक्ष्य में अभियुक्त के फिरौती की मांग के सम्बन्ध में प्रस्तुत साक्ष्य में विरोधाभास है। अभियुक्त ने किसके सामने फिरौती की मांग की या किस स्थान पर फिरौती देने हेतु वादी पक्ष को बुलाने का प्रस्ताव दिया। उक्त के सम्बन्ध में वादी पक्ष की तरफ से किसी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है, न ही किसी सक्षम अधिकारी/न्यायालय के समक्ष अभियुक्त से फिरौती की मांग की सूचना प्राप्त होने पर कार्यवाही हेतु कोई प्रार्थनापत्र/सूचना दिया गया है।

उपरोक्त साक्ष्य से अभियुक्त विनोद द्वारा वादिनी की अवयस्क पुत्री को दही जलेबी खिलाने के बहाने उसे स्कूल से आते समय व्यपहरण कर/उसके माता पिता के विधिक संरक्षकता से बाहर कर, अपने घर जबरदस्ती ले जाना साबित है तथा व्यपहरण के पश्चात उसे अपने घर पर निरूद्ध रखा तथा वादिनी व उसके पति द्वारा उसकी अवयस्क पुत्री को वापस मांगे जाने/निरूद्धी से अवमुक्त करने हेतु कहने पर उसे वापस करने से इंकार करना भी साबित है जिसके पश्चात वादिनी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध एफ0आई0आर0 पंजीकृत कराने की लिखित तहरीर दी गई। तत्पश्चात विवेचक पी0डब्लू–4 उपनिरीक्षक बृजमोहन सैनी द्वारा घटना के लगभग 28 दिन बाद दिनांक 01.08.2022 को कोरारी मोड़ के पास से अभियुक्त विनोद को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अपहृता पीड़िता बच्ची शिवांशी को बरामद करना तथा उपलब्ध पीड़िता की फोटो से उसके चेहरे का मिलान करने पर पीड़िता का चेहरा फोटो से मेल खाना तथा मौके पर तैयार फर्द बरामदगी प्रदर्श क–4 के रूप में न्यायालय में साबित करना व पीड़िता द्वारा न्यायालय में अभियुक्त की शिनाख्त करना आदि तथ्य साबित हैं।

पीड़िता के फर्द बरामदगी दिनांकित 01.08.2022 की कापी अभियुक्त विनोद को दी गयी है। जिस पर अभियुक्त विनोद के हस्ताक्षर हैं जिससे अभियुक्त ने इंकार नहीं किया है। उक्त फर्द बरामदगी को विवेचक पी0डब्लू–4 ने न्यायालय मे साबित किया है। जैसे ही किसी व्यक्ति द्वारा किसी बच्चे या व्यक्ति को उसकी कानूनी अभिभावक की हिरासत से बाहर ले जाया जाता है तो व्यपहरण का अपराध पूर्ण हो जाता है। जबकि अपहरण एक निरन्तर चलने वाला अपराध (Continuting offence) है। अतः अभियुक्त के कब्जे से पीड़िता अवयस्क शिवांशी की बरामदगी होना साबित है। उपरोक्त साबित सम्पूर्ण तथ्यों से अभियुक्त विनोद द्वारा वादिनी की अवयस्क पुत्री शिवांशी का उसके माता पिता की विधिपूर्ण संरक्षकता से बिना सहमति के बहला फुसलाकर उसके घर से अपने घ ार ले जाने के कारण वादिनी की पुत्री शिवांशी का व्यपहरण करने का अपराध साबित है जो कि धारा 361 भा0दं0सं0 में परिभाषित ''विधिपूर्ण सरंक्षकता में से व्यपहरण'' के अपराध की श्रेणी में आता है जो कि धारा 363 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अभियोजन का तर्क है कि अभियुक्त द्वारा वादिनी की पुत्री के व्यपहरण के पश्चात

उसे मारा पीटा गया जिससे उसका चेहरा सूज गया। उक्त के सम्बन्ध में न्यायालय का यह कहना है कि वादिनी द्वारा पीड़िता के बरामदगी के पश्चात कोई मेडिकल नहीं कराया गया है जिससे यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त द्वारा वादिनी की अवयस्क पुत्री शिवांशी को व्यपहरण के पश्चात मारा पीटा जाता था जिससे उसका चेहरा सूज गया। अभियोजन द्वारा ऐसा कोई सारवान साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि अभियुक्त विनोद ने वादिनी की पुत्री का व्यपहरण कर उसे अपने कब्जे में निरोध के दौरान उसकी मृत्यु या उपहति कारित करने या कारित करने के उपरान्त कोई धमकी दिया हो अथवा उसके आचरण से वादिनी के अवयस्क पुत्री की हत्या या उपहति कारित करने की आंशका उत्पन्न हो अथवा उसके अवयस्क पुत्री की हत्या या उपहति वादिनी का किसी कार्य को करने या करने से विरत रहने या फिरौती अदा करने के लिए बाध्य किया गया हो अर्थात अभियुक्त विनोद द्वारा वादिनी के अवयस्क पुत्री के व्यपहरण के पश्चात उसे छोड़े जाने के बदले में किसी फिरौती का मांगे जाने का तथ्य साबित नहीं है, न ही धारा 364ए भा0द0सं0 का आरोप साबित है।

23– बचाव पक्ष का यह तर्क है कि अभियुक्त द्वारा वादिनी को उधार दिया गया अपना 50,000/–रू0 मांगने पर उसे फर्जी फंसा दिया गया। उक्त के सम्बन्ध में न्यायालय का यह कहना है कि अभियुक्त विनोद की तरफ से प्रतिरक्षा में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट हो सके कि अभियुक्त द्वारा वादिनी व उसके पति को 50,000/–रू0 पूर्व में उधार दिया गया है और उसे अदा न करने पर वादिनी पक्ष द्वारा अभियुक्त को फर्जी फंसा दिया गया हो। उपरोक्त साक्षीगण से बचाव पक्ष की जिरह में भी ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे वादिनी का घटना के पूर्व अभियुक्त से 50,000/–रू0 उधार लेना साबित हो। साक्षीगण के मुख्य परीक्षा में दिये गये बयान व जिरह में दिये गये बयान में ऐसा कोई विरोधाभास नहीं है जिससे अभियुक्त की निर्दोषिता साबित हो।

24– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने मौखिक तर्क में यह कहा गया है कि एफ0आई0आर0 विलम्ब से दर्ज करायी गयी है जिसका कोई कारण दर्शित नहीं है। अतः अभियोजन कथानक संदेहयुक्त है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाये। उक्त के सम्बन्ध में न्यायालय का अभिमत है कि वादिनी पी0डब्लू–1 ने अपने साक्ष्य में यह कहा है कि, ''उसने सोचा कि विनोद रिश्तेदार है। लड़की को वापस करेगा। विनोद ने शाम को फोन किया कि वह वादिनी की लड़की को वापस करेगा। जब बाद में पुनः विनोद ने लड़की को वापस करने से इंकार किया तब वादिनी ने विनोद के विरूद्ध मुकदमा लिखाने हेतु लिखित तहरीर थाने में दिया। अतः वादिनी ने घटना दिनांक 03.07.2022 के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरूद्ध एफ0आई0आर0 पंजीकृत कराने हेतु दिनांक 09.07.2022 को लिखित तहरीर दी गयी है। अतः वादिनी ने विलम्ब से मुकदमा पंजीकृत कराने के सम्बन्ध में जो उपरोक्त साक्ष्य प्रस्तुत किया है, वह पर्याप्त व युक्तियुक्त है। अर्थात वादिनी ने विलम्ब से एफ0आई0आर0 कराने का समुचित कारण दर्शित किया है।

25– अभियुक्त ने अपने धारा–313 दं0प्र0सं0 के बयान में मुकदमा रंजिशन चलना

बताया परन्तु अभियुक्त ने धारा–313 दं0प्र0सं0 में दिये गये उक्त बयान के समर्थन में (मुकदमा रंजिशन चलने के बाबत) कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, न ही अपने कब्जे से पीड़िता की बरामदगी से इंकार किया है। अतः बचाव के इस तर्क में बल नहीं है कि उक्त मुकदमा वादिनी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध रंजिशन दायर किया गया है।

26– प्रस्तुत मामले में पी0डब्लू–5 के रूप में पीड़िता शिवांशी को अभियोजन द्वारा परीक्षित कराया गया है जो घटना के समय अवयस्क (घटना के समय उम्र लगभग 6 वर्ष) थी। पी0डब्लू–5 ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया है कि जब उसके साथ घ टना घटी थी वह 6 साल की थी। घटना उसके साथ दोपहर में घटी थी। जब वह स्कूल से वापस आयी तो बरामदे के बाहर थी उसी समय उसके मामा विनोद आये और कहा कि चलो तुमको दही जलेबी खिला लाये। मामा ने उसे दही जलेबी न खिलाकर बल्कि अपने घर बिलारी ओझा लेकर चले गये और वहॉ एक दिन अपने घर पर रखा और फिर कहीं लेकर चले गये और ले जाकर एक दीदी के यहॉ बेच दिया। जहॉ बेचा था वहॉ दीदी लोग उसे मोबाइल फोन पर नाच दिखाती थी। साक्ष्य के दौरान पीछे कटघरे में खड़े व्यक्ति की पहचान पीड़िता द्वारा अपने मामा विनोद के रूप में की गयी है।

स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम ओमप्रकाश ए0आई0आर0 2002 एस0सी0 2235 के मामले में बाल साक्षी के साक्ष्य के मूल्यांकन के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि, The testimony of child witness is required to be evaluated properly as the child may be swayed by what may others tell him or her as the child is an easy prey to tutoring. Wisdom requires that a child witness requires adequate corroboration before it is relied upon. पत्रावली पर उपलब्ध पीड़िता शिवांशी के धारा–164 दं0प्र0सं0 के बयान का अवलोकन किया जिसमें सम्बन्धित मजिस्ट्रेट द्वारा पीड़िता शिवांशी का बयान दर्ज करने के पूर्व उसके प्रश्न समझने की सक्षमता व समर्थता के परीक्षणोपरान्त यह प्रमाणित किया गया है कि **साक्षी से सामान्य प्रज्ञा के प्रश्न पूंछे गये जिनका उत्तर देने में साक्षी समर्थ है।** तत्पश्चात पीड़िता शिवांशी का सम्बन्धित मजिस्ट्रेट द्वारा धारा–164 दं0प्र0सं0 का बयान दर्ज किया गया है। बयान दर्ज करते समय पीड़िता से सम्बन्धित मजिस्ट्रेट द्वारा जिन तथ्यों के बारे में प्रश्न किया गया उसका उत्तर पीड़िता द्वारा बिना हिचकिचाहट के बेबाक रूप से दिया गया है। पीड़िता ने अपने धारा–164 दं0प्र0सं0 के बयान में भी यह कहा है कि ''मैं कक्षा एक में पढ़ती हूँ। विनोद मेरे मामा हैं। विनोद ने कहा चलो तुम्हे समोसा जलेबी खिला लायें। उस दुकान पर ले जाने के बाद विनोद मुझे अपने घर ले गये और अपने घर पर मुझे दो दिन रखा। उसके बाद मुझे विनोद कहीं और लेकर गये। उस जगह का नाम मुझे नहीं पता है। मुझे पुलिस वाली दीदी घर लेकर आयी।'' पीड़िता (अवयस्क शिवांशी) के धारा–164 दं0प्र0सं0 में मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये गये बयान से भी अभियुक्त द्वारा अवयस्क पीड़िता को उसके माता पिता की सहमति के बिना उनके विधिक संरक्षकता से बाहर ले जाना/व्यपहरण करना साबित है परन्तु अभियुक्त द्वारा वादिनी पक्ष से फिरौती की मांग करना साबित नहीं है। अतः पीड़िता के धारा–164 दं0प्र0सं0 के बयान से अभियुक्त द्वारा व्यपहरण का अपराध कारित किया जाना परिलक्षित है।

27– अभियोजन ने अपने साक्ष्य से अभियोजन प्रलेख लिखित तहरीर प्रदर्श क–1, चिक एफ0आई0आर0 प्रदर्श क–2, गिरफ्तारी प्रपत्र प्रदर्श क–3, फर्द बरामदगी व्यपहृता प्रदर्श क–4 व आरोप पत्र को प्रदर्श क–5 के रूप में साबित किया है। उक्त साबित अभियोजन प्रलेख के खण्डन में अभियुक्त के द्वारा कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः साबित अभियोजन प्रलेख अखण्डनीय होने के कारण विश्वसनीय है।

28– उपरोक्त तथ्यों के विवेचन व विश्लेषण के उपरान्त न्यायालय का सुविचारित निष्कर्ष है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सत्य, सही व विश्वसनीय साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा वादिनी की अवयस्क पुत्री को व्यपहृत कर बहला फुसलाकर ले जाने व निरूद्धी के दौरान उसे छोड़ने के एवज में उसे मारने पीटने व पीड़िता के माता पिता से मु0–पांच लाख रूपये फिरौती मांगे जाने का आरोप साबित नहीं है लेकिन अभियुक्त विनोद द्वारा वादिनी की अवयस्क पुत्री शिवांशी को दही जलेबी खिलाने के बहाने बहला फुसलाकर स्कूल से वापस आते समय रास्ते से उसके विधिक संरक्षक की विधिपूर्ण संरक्षकता से जबरदस्ती बाहर ले जाना/व्यपहृत कर उसके घर से अपने घर ले जाकर जबरदस्ती निरूद्ध करना साबित है और वादिनी की अवयस्क पुत्री की बरामदगी पुलिस द्वारा अभियुक्त के कब्जे से किया जाना साबित है। अभियुक्त विनोद का उक्त कृत्य धारा–364ए भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय न होकर बल्कि धारा–361 भा0दं0सं0 में परिभाषित **''विधि पूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण''** के अपराध की श्रेणी में आता है जो कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

29– धारा 221(2) दं0प्र0सं0/धारा–244(2) बी0एन0एस0एस0 में यह प्रावधान है कि– **जहॉ इस बारे में संदेह है कि कौन सा अपराध किया गया है–** यदि ऐसे मामले में अभियुक्त पर एक अपराध का आरोप लगाया गया है और साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि उसने भिन्न अपराध किया है, जिसके लिए उसपर उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन आरोप लगाया जा सकता था, तो वह उस अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा सकेगा जिसका उसके द्वारा किया जाना दर्शित है, यद्यपि उसके लिये उसपर आरोप नहीं लगाया गया था।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त पर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–364ए भा0दं0सं0 अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से साबित न होकर बल्कि अभियुक्त विनोद द्वारा वादिनी की अवयस्क पुत्री शिवांशी का उसके विधिक सरंक्षक के सहमति के बिना उनकी विधिक संरक्षकता से बाहर ले जाकर व्यपहरण करने का कृत्य/अपराध साबित है। अतः धारा 221(2) दं0प्र0सं0/धारा–244(2) बी0एन0एस0एस0 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियुक्त विनोद को धारा 361 भा0द0सं0 में परिभाषित व धारा 363 भा0दं0सं0 में दण्डनीय **''विधि पूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण''** के अपराध में दोषसिद्ध किया जाना न्यायसंगत होगा। अतः अभियुक्त विनोद कुमार एस0टी0सं0–1201/2022 अपराध सं0–188/2022 धारा–364ए भा0दं0सं0 थाना अचलगंज के प्रकरण में आरोप धारा–364ए भा0दं0सं0 में दोषसिद्ध न कर बल्कि धारा 363 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त विनोद एस0टी0सं0–1201/2022 अपराध सं0–188/2022 धारा–364ए भा0दं0सं0 थाना अचलगंज के प्रकरण में आरोप धारा–364ए भा0दं0सं0 में दोषसिद्ध न कर बल्कि **धारा 363 भा0दं0सं0** के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त पूर्व से न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्त जिला कारागार से आज न्यायालय उपस्थित है। पत्रावली दण्डादेश के बिन्दु पर सुनवाई हेतु समय 2.00 बजे पेश हो।

(प्रेम प्रकाश)
JO CODE: UP6506
दिनांक 12.06.2026 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–3,
उन्नाव।

पत्रावली लंच बाद समय 02.00 बजे पुनः दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पेश हुई। अभियुक्त को एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुना।

अभियुक्त की ओर से कथन किया गया कि उसकी उम्र लगभग 30–35 वर्ष है। मुकदमें की पैरवी करने वाला कोई नहीं है। सरकारी अधिवक्ता निःशुल्क रूप से दिया जाये। अभियुक्त लगभग 4 साल से जिला कारागार उन्नाव में निरूद्ध है। कम से कम सजा से दण्डित करने का कथन किया है।

विद्वान जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता की ओर से कथन किया गया कि अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः उसे अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किया जाए।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त को वादिनी की अवयस्क पुत्री शिवांशी का उसके विधिक सरंक्षक के सहमति के बिना उनकी विधिक संरक्षकता से बाहर ले जाकर व्यपहरण करने के अपराध का दोषी पाया गया है। अभियुक्त आर्थिक रूप से कमजोर है। प्राइवेट अधिवक्ता नियुक्त करने हेतु उसके पास पैसे नहीं है। अभियुक्त के प्रार्थनापत्र पर उसके मुकदमें की पैरवी हेतु सरकारी अधिवक्ता निःशुल्क रूप से दिया गया है। अभियुक्त लगभग 4 साल से जिला कारागार उन्नाव में निरूद्ध है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं है। अभियुक्त की उम्र लगभग 30–35 साल होना बताया गया है। अभियुक्त की परिस्थितियॉ विषम है। प्रकरण वर्ष 2022 का है। समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निम्न दण्डादेश पारित किया जाना न्यायोचित होगा।

<u>दण्डादेश</u>

एस0टी0सं0–1201/2022 अपराध सं0–188/2022 राज्य बनाम विनोद थाना अचलगंज उन्नाव के प्रकरण में **दोषसिद्ध अभियुक्त विनोद** को **धारा–363 भा0दं0सं0** के अपराध में **45 माह का कठोर** कारावास व **पांच हजार रूपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर दोषसिद्ध अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियुक्त द्वारा पूर्व में बिताई गई जेल अवधि धारा 428 दं0प्र0सं0 के तहत इस दण्डादेश में समायोजित की जाएगी।

दोषसिद्ध अभियुक्त विनोद का सजायाबी वारण्ट बनाकर जिला कारागार उन्नाव प्रेषित किया जाये तथा दोषसिद्ध अभियुक्त को अविलम्ब निर्णय की एक प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायी जाये।

(प्रेम प्रकाश)
JO CODE: UP6506
दिनांक 12.06.2026 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0—3,
उन्नाव।

यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके आज सुनाया गया।

(प्रेम प्रकाश)
JO CODE: UP6506
दिनांक 12.06.2026 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0—3,
उन्नाव।